<u>भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</u>

टी०ए० मिस केस सं०–153/2018–19

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
14.02.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि **25.03.2019** को निर्धारित की जाती है। अभिलेख **25.03.2019** को उपस्थापित करें । भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
25.03.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि **30.04.2019** को निर्धारित की जाती है। अभिलेख **30.04.2019** को उपस्थापित करें । भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
30.04.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक–233, दिनांक–18.04.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, अवलोकन के क्रम में पाया गया कि बिक्रेता श्री लोबिना भुईयां, पिता– स्व0 डोमा भुईयां, जाति– भुईयां (अ.जा.), ग्राम– चेलाबेड़ा, पो0+थाना– चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम द्वारा मौजा– **पोटका**, थाना नं0– **69**, थाना– **चक्रधरपुर**, खाता नं०– **261**, प्लॉट नं0– **12 एवं 13**, रकवा क्रमशः– **1.865 डि0**, **2.135 डि0**, कुल रकवा– **4 डि0** भूमि बिक्री के पश्चात् आवेदक के हिस्से में 69 डि0 500 वर्गकड़ी भूमि अवशेष बचता है। बिक्रेता को नोटिस निर्गत करें की उक्त भूमि के अतिरिक्त भूमि उनके पास है तो इस संबंध में कार्यालय में उपस्थित होकर कागजात समर्पित करें। अभिलेख **25.05.2019** को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
25.05.2019	अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता अनुपस्थित। दिनांक–04.06.2019 को उपस्थित होने हेतु बिक्रेता को पुनः नोटिस निर्गत करें। अभिलेख **04.06.2019** को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
	<u>आदेश</u>	
04.06.2019	अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से हाजरी दी गयी है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक– **233**, दिनांक– **18.04.2019** द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक **18.04.2019** को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **श्री लोबिना भुईयां उर्फ लोबिना नायक**, पिता– **स्व0 डोमा भुईयां**, जाति– **भुईयां (अ.जा.)**, ग्राम– **चेलाबेड़ा**, पो0+थाना– **चक्रधरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के प्रतिवेदनानुसार खतियानी भूमि मौजा– **पोटका**, थाना नं0– **69**, थाना– **चक्रधरपुर**, खाता नं०– **261**, प्लॉट नं0– **12 एवं 13**, रकवा क्रमशः– **3.885 डि0**, **7.115 डि0**, कुल रकवा– **11 डि0** आवासीय भूमि क्रेता **गगन मुखी**, पिता– **श्री ब्रजनन्दन मुखी**, जाति– **घासी (अ.जा.)**, ग्राम– **अयोध्या**, थाना– **चक्रधरपुर**, जिला– **प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **श्री लोबिना भुईयां उर्फ लोबिना नायक**, पिता– **स्व0 डोमा भुईयां**, जाति– **भुईयां (अ.जा.)**, ग्राम– **चेलाबेड़ा**, पो0+थाना– **चक्रधरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने	

हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।

बिक्रेता एवं क्रेता का थाना– **चक्रधरपुर**, जिला– **प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता का जाति **भुईयां (अ॰जा॰)** एवं क्रेता का जाति **घासी (अ॰जा॰)**, समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि अपने पुत्र के ईलाज हेतु (बिक्रेता के द्वारा ईलाज का Prescription भी संलग्न किया गया हैं)। बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को **चक्रधरपुर** अंचल अंतर्गत **रकवा 0.69.500 ए0** अवशेष भूमि बचता हैं। बिक्रेता द्वारा शपथ पत्र संख्या– 1907, दिनांक– 04.06.2019 द्वारा बताया गया है कि उक्त अवशेष भूमि के अतिरिक्त बिक्रेता को 2.50 ए0 भूमि अवशेष है। कुल अवशेष भूमि 3.19.500 ए0 बिक्रेता के पास भरन पोषण हेतु बचता है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता **श्री लोबिना भुईयां उर्फ लोबिना नायक**, पिता– **स्व0 डोमा भुईयां**, जाति– **भुईयां (अ॰जा॰)**, ग्राम– **चेलाबेड़ा**, पो0+थाना– **चक्रधरपुर**, जिला **प॰ सिंहभूम** उक्त भूमि **2,75,000/– (दो लाख पचत्तर हजार)** रूपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की **स्वीकृति** दी जाती है।

आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराएं।

4.6.19

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।